



उ०प्र० पावर कारपोरेशन अंशदायी भविष्य निधि ट्रस्ट

14-अशोक मार्ग शक्ति भवन (वि०),

लखनऊ

Email id: cpftrust.2004@gmail.com

Website-www.uppst.org

पत्र सं० /81/सी०पी०एफ० ट्रस्ट/पार०इका०/सामा०पत्रा०

दिनांक

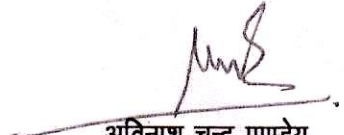
16/03/2021

परिपत्र सं०: सी०पी०एफ०/०६/२०२१

अध्यक्ष (ट्रस्ट) महोदय के अनुमोदनोपरान्त निदेशक (वित्त), उ०प्र०पा०का०लि० एवं ट्रस्टी के कार्यालय ज्ञाप सं०-1038/ट्रस्ट/पी०सी०एल०/सी०पी०एफ०/१८ दिनांक 06.03.2019 द्वारा अंशदायी भविष्य निधि योजना से आवरित कार्मिकों की सी०पी०एफ० लेखापर्ची एवं अंतिम भुगतान सम्बन्धी प्रकरणों के निस्तारण कार्य को डिस्कॉम स्तर पर विकेन्द्रीकृत करने का निर्णय लिया गया था। उक्त विकेन्द्रीकरण के पश्चात् अंशदायी भविष्य निधि योजना से आवरित कार्मिकों का अन्तर्निगमीय स्थानान्तरण होने की स्थिति में स्थानान्तरित कार्मिकों की सी०पी०एफ० लेखापर्ची निर्गत किये जाने हेतु निम्नवत् प्रक्रिया निर्धारित की जाती है:-

1. विकेन्द्रीकरण के पश्चात् डिस्कॉम लखनऊ/वाराणसी/आगरा/मेरठ, केस्को-कानपुर, उ०प्र०पा०का०लि० एवं उ०प्र०पा०ट्रा०का०लि० की नियन्त्रणाधीन इकाइयों में तैनात अं०भ०नि० योजना से आवरित कार्मिकों का एक डिस्कॉम/कम्पनी से दूसरे डिस्कॉम/कम्पनी में स्थानान्तरित होने की स्थिति में सम्बन्धित वित्तीय वर्ष में वेतन भुगतान माह (अन्तिम माह) मार्च में कार्मिक के सी०पी०एफ० अंशदान के आधार पर सम्बन्धित डिस्कॉम/कम्पनी द्वारा सी०पी०एफ० लेखापर्ची निर्गत करने की कार्यवाही की जाएगी।
2. स्थानान्तरण वित्तीय वर्ष से पूर्व के वित्तीय वर्ष में कार्मिक की सी०पी०एफ० लेखापर्ची निर्गत करने वाले डिस्कॉम/कम्पनी द्वारा सम्बन्धित कार्मिक के सी०पी०एफ० खाते का अंतिम अवशेष एवं अग्रेतर की गई कटौतियों का सत्यापित विवरण सम्बन्धित डिस्कॉम/कम्पनी, जिनके द्वारा अग्रेतर वित्तीय वर्षों की लेखापर्ची निर्गत की जानी है, को उपलब्ध कराया जायेगा।
3. बिन्दु सं०-2 के अनुसार प्राप्त अंतिम अवशेष एवं अग्रेतर कटौतियों के सत्यापित विवरण को सम्बन्धित डिस्कॉम/कम्पनी द्वारा लेखापर्ची निर्गमन सॉफ्टवेयर में सीधे प्रविष्ट करते हुए अग्रेतर वित्तीय वर्षों की लेखापर्ची निर्गत करने की कार्यवाही की जायेगी।
4. यदि कार्मिक एक से अधिक डिस्कॉम/कम्पनी की अधीनस्थ इकाइयों में तैनात रहा है, तो प्रत्येक डिस्कॉम/कम्पनी द्वारा अपनी अधीनस्थ इकाई के अन्तर्गत कार्मिक के सेवाकाल से सम्बन्धित वित्तीय वर्ष का अन्तिम अवशेष एवं अग्रेतर माह की कटौतियों का विवरण अग्रेतर तैनाती इकाई के डिस्कॉम/कम्पनी को उपलब्ध कराना होगा। इसी प्रकार यह प्रक्रिया अग्रेतर अपनायी जायेगी, जिससे कार्मिक की सी०पी०एफ० लेखापर्ची निर्गत करने की कार्यवाही सम्बन्धित डिस्कॉम/कम्पनी द्वारा की जा सके।
5. डिस्कॉम लखनऊ/वाराणसी/आगरा/मेरठ, केस्को कानपुर की नियन्त्रणाधीन इकाइयों का वर्ष 2004-05 से 2019-20 तक का सी०पी०एफ० डाटा सम्बन्धित डिस्कॉम द्वारा ई०आर०पी० में माइग्रेट कराया जाएगा एवं उ०प्र०पा०का०लि० एवं उ०प्र०पा०ट्रा०का०लि० की नियन्त्रणाधीन इकाइयों का वर्ष 2004-05 से 2019-20 तक का सी०पी०एफ० डाटा ट्रस्ट कार्यालय द्वारा ई०आर०पी० में माइग्रेट कराया जायेगा।

सी०पी०एफ० से आवरित कार्मिकों का वर्ष 2004-05 से 2019-20 तक का सी०पी०एफ० डाटा ई०आर०पी० में माइग्रेट होने तक, अन्तर्निगमीय स्थानान्तरित कार्मिकों की सी०पी०एफ० लेखापर्ची निर्गमन हेतु, प्रत्येक डिस्कॉम/कम्पनी द्वारा उपरोक्त बिन्दुओं को ध्यान में रखते हुए आवश्यक कार्यवाही करना सुनिश्चित किया जाएगा।


अविनाश चन्द्र पाण्डेय
सचिव (ट्रस्ट)

पत्र सं० 372 /81/सी०पी०एफ० ट्रस्ट/पार०इका०/सामान्य पत्र/तददिनांक:-

प्रतिलिपि निम्नलिखित को सूचनार्थ एवं आवश्यक कार्यवाही हेतु प्रेषित :-

1. निदेशक (वित्त)/निदेशक (कार्मिक प्रबन्धन एवं प्रशासन), उ०प्र०पा०का०लि०, शक्ति भवन, लखनऊ।
2. निदेशक (वित्त)/निदेशक (कार्मिक प्रबन्धन एवं प्रशासन), उ०प्र०पा०ट्रा०का०लि०, शक्ति भवन, लखनऊ।
3. निदेशक (वित्त)/निदेशक (कार्मिक एवं प्रशासन), मध्यांचल/पूर्वांचल/पश्चिमांचल/दक्षिणांचल विद्युत वितरण निगम लि०, लखनऊ/वाराणसी/आगरा/मेरठ।

4. अधिशाषी निदेशक (वित्त), उ०प्र०पा०का०लि०/उ०प्र०पा०ट्रा०का०लि०, शक्ति भवन, लखनऊ।
5. मुख्य महाप्रबन्धक (लेखा सम्प्रेक्षा एवं प्रशासन), उ०प्र०पा०का०लि०, शक्ति भवन, लखनऊ।
6. मुख्य महाप्रबन्धक (लेखा), दक्षिणांचल विद्युत वितरण निगम लि०, आगरा।
7. महाप्रबन्धक (वित्त एवं लेखा), मध्यांचल/पूर्वांचल/पश्चिमांचल/दक्षिणांचल विद्युत वितरण निगम लि०/केस्को, लखनऊ/वाराणसी/आगरा/मेरठ/कानपुर।
8. उपमहाप्रबन्धक (लेखा), परिक्षेत्रीय लेखा कार्यालय, (सा०प्र०), महानगर, लखनऊ।
9. उपमहाप्रबन्धक (लेखा), परिक्षेत्रीय लेखा कार्यालय, (पारे० मध्य/पश्चिम/उ०पू०/द०पू०/द०पश्चिम/द०मध्य), लखनऊ/मेरठ/गोरखपुर/प्रयागराज/आगरा/झाँसी, उ०प्र०पा०ट्रा०का०लि०।
10. उपसचिव, अंशदायी भविष्य निधि ट्रस्ट, शक्ति भवन (वि०), लखनऊ।
11. लेखाधिकारी, (मुख्यालय भुगतान इकाई/केन्द्रीय भुगतान प्रकोष्ठ) शक्ति भवन (वि०), लखनऊ।
12. लेखाधिकारी (सी०पी०एफ०), मध्यांचल/पूर्वांचल/पश्चिमांचल/दक्षिणांचल विद्युत वितरण निगम लि०/केस्को, लखनऊ/वाराणसी/आगरा/मेरठ/कानपुर।
13. लेखाधिकारी (प्रथम/द्वितीय), अंशदायी भविष्य निधि ट्रस्ट, शक्ति भवन (वि०), लखनऊ।
14. अधिशासी अभियंता, वेबसाइट, उ०प्र०पा०का०लि० शक्ति भवन, लखनऊ।

(अविनाश चन्द्र पाण्डेय)
सचिव (ट्रस्ट)